

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जालोर में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विधालय की प्रधानाध्यापिका 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 06 सितम्बर, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर एसयू इकाई द्वारा आज जालोर में कार्यवाही करते हुये चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालोर एवं श्रीमती खुशबू गहलोत, कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर एसयू इकाई को परिवादिया द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध लम्बित शिकायत को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालोर से बन्द करवाने की एवज में चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालोर एवं श्रीमती खुशबू गहलोत प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद द्वारा 3 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाईसिंह गोदारा तथा एसीबी जोधपुर एसयू इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा आज जालोर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये चन्द्रकान्त रामावत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जालोर एवं श्रीमती खुशबू गहलोत पत्नी छविलाल सैनी निवासी प्लॉट नम्बर बी-16 निम्बा निम्बडी मण्डोर जोधपुर, हाल कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विधालय उम्मेदाबाद पंचायत समिति सायला जिला जालोर को परिवादिया से 3 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियान से पूछताछ एवं आवास तथा अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।